

# यौन उत्पीड़न के बाईस्टैंडर (गवाह) के रूप में कार्रवाई कैसे करें

## इसे संबोधित करें

यदि ऐसा करते हुए आपको सुरक्षित महसूस हो, तो आप शांति से असहमति जताएं और कथित उत्पीड़क से कहें कि उनका यह काम या बयान गलत या अस्वीकार्य है।

यह समझाएं कि इस व्यवहार को रोकना क्यों महत्वपूर्ण है।

यदि आप सहज महसूस करते/ती हैं तो कथित उत्पीड़क को संबोधित करें और उसे शिक्षित करें।

“हम यहाँ इस प्रकार की बात नहीं करते।”

“हम इस टीम के लोगों से इस तरह बात नहीं करते।”

## इसे सुलझाएं या बाधित करें

यदि आप आत्मविश्वास महसूस करते/ती हैं और ऐसा करने में सहज हैं, तो आप बातचीत में शामिल हो सकते/ती हैं और व्यवहार को सुलझाने या बाधित करने का प्रयास कर सकते/ती हैं।

बातचीत को सुलझाना या बाधित करना उचित होगा यदि आप कथित उत्पीड़क को जानते/ती हैं या यदि आप संभावित शक्ति असंतुलन के बारे में चिंतित हैं और इसे सीधे संबोधित करने के लिए आत्मविश्वास महसूस नहीं करते/ती हैं।

आप बातचीत में शामिल हो सकते/ती हैं या स्थिति को रोकने की कोशिश करने के लिए टिप्पणी कर सकते/ती हैं।

निजी तौर पर या लोगों के समूह के बीच में कहा गया हो सकता है।

किसी टिप्पणी या प्रश्न का उपयोग असहमति व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है।

## चेक इन करें

1. प्रभावित व्यक्ति से बात करें और इस बात पर जोर दें कि व्यवहार अनुचित था।
2. उस व्यक्ति से पूछें कि क्या वह ठीक है।
3. मामले को आगे बढ़ाने में मदद करने की पेशकश करें।

पीड़ित व्यक्ति से पूछें।

“उनका आपके बारे में इस तरह बात करना बहुत गलत था। क्या आप ठीक हैं? क्या आप चाहते/ती हैं कि मैं आपके लिए इसकी रिपोर्ट करूँ या इसकी रिपोर्ट करने में आपकी मदद करूँ?”

## इसकी रिपोर्ट करें

आपको किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी घटना की रिपोर्ट केवल तभी करनी चाहिए जब आपके पास ऐसा करने की उनकी स्पष्ट अनुमति हो, क्योंकि इससे उन्हें फिर से सदमा लग सकता है।

केवल उतनी ही जानकारी साझा करें जितनी आपको साझा करने की अनुमति दी गई है।

अपने नियोक्ता को व्यवहार की रिपोर्ट करें।

व्यवसाय या उपक्रम का संचालन करने वाले व्यक्ति (PCBU) का कर्तव्य हो सकता है कि वह WorkSafe को घटना की रिपोर्ट करे।

अपने संगठन के यौन उत्पीड़न या घटना रिपोर्टिंग सिस्टम को एक्सेस करें या प्रबंधन को रिपोर्ट करें।

अपनी पहचान का उतना ही हिस्सा साझा करें जिसके लिए आप सहज महसूस करते/ती हैं।

## ये संगठन आपकी मदद कर सकते हैं

### WA पुलिस

यदि कार्यस्थल पर आपको या किसी और को कोई तत्काल खतरा है, तो तुरंत WA पुलिस को 000 पर कॉल करें।

फोन: 000

### लाइफलाइन

लाइफलाइन 24 घंटे संकट सहायता और आत्महत्या की रोकथाम प्रदान करता है।

फोन: 13 11 14

[www.lifeline.org.au](http://www.lifeline.org.au)

### फेयर वर्क कमीशन (FWC)

यदि आपको यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट करने के लिए नौकरी से बर्खास्त या दंडित किया जाता है, तो यह आपको जानकारी या सहायता प्रदान करने में सक्षम हो सकता है।

फोन: 1300 799 675

[www.fwc.gov.au](http://www.fwc.gov.au)

### Respect@Work

Respect@Work वेबसाइट में कार्यस्थल यौन उत्पीड़न से संबंधित कर्मियों और नियोक्ताओं के लिए जानकारी, शिक्षा और संसाधन हैं।

फोन: 1300 369 711

[www.respectatwork.gov.au](http://www.respectatwork.gov.au)